उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/240/2022 तारीख रजू

सचिन **बनाम** गोपाल वगैरा

...कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...08.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 121, वाके ग्राम सहजपुरा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.09.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/9/22	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी क्रमांक 8 व 10 की ओर से श्री [illegible] एड० वकालतनामा पेश किया। जवाब को समय चाहा गया। शेष को तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी शेष/जवाब दिनांक 1/11/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/11/22	पुकार .... उपस्थित ... के आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रा. पी ... जवाब/शेष की तलबी दिनांक 9/12/22 को पेश हो। अन्तिम मौका उपखण्ड अधिकारी कलक्टर ([illegible])
9/12/22	पुकार .... उपस्थित ... क्र. ... की पालना ... बाबत जवाब/शेष की तलबी दिनांक 17/1/23 को पेश हो। अन्तिम मौका उपखण्ड अधिकारी कलक्टर ([illegible])
17/1/23	पुकार उपरान्त वकील प्रार्थी ने आज दिनांक पुनः तलबी हेतु शेष की तलबी जारी करने हेतु तलबाना पेश नहीं किया गया है। इस बाबत वकील प्रार्थी को पूर्व में कई बार मौके प्रदान किये जा चुके हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तलबाना के अभाव में वकील एवं Default में खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर बाद के माल खाने दाखिल हो SDM